न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1015/2022

अनवान : –

1. सन्तलाल पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जयलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. जसवन्त सिंह पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. सावित्री देवी पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. राधा देवी पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 18/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 79/69 के ख0नं0 97 की 4.9320 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 140/67 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 155921/357390 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 79/69 के ख0न0 97 की 4.9320 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 140/67 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 155921/357390 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे ... दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए ... गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:01:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रतिवादी स0 1 रिकार्डेड खातेदार है एवं प्रतिवादी स0 1 के जीवनकाल में किसी का कोई हक हिस्सा नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस वकील उंभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 79/69 के ख0न0 97 की 4.9320 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 140/67 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 155921/357390 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री करने में सहमति जाहिर की गई है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:01:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 79/69 की 4.9320 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 140/67 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 155921/357390 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:01:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1015/2022

अनवान : –

1. सन्तलाल पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जयलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. जसवन्त सिंह पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. सावित्री देवी पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. राधा देवी पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1015 सन 2022 निर्णय दिनांक 18/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती हैं कि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 79/69 की 4.9320 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 140/67 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 155921/357390 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:01:55 IST
Reason: SelfAttested